

# समाजिक समाधात अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन

केंदीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची के गठित S.I.A दल के द्वारा ग्राम पंचायत हुमटा ग्राम-हुमटा एवं काजीबारू के अन्तर्गत रायसा जलाशय योजना अन्तर्गत समर्पित समाजिक समाधात अध्ययन प्रतिवेदन की समीक्षा उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा गई है। भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियम 7 (2) के आलोक में दो बिन्दुओं यथा :-

(a) The project will serve any purpose and

(b) The potential benefits outweigh the social and adverse social impacts पर समीक्षा की गई है।

उपरोक्त परियोजना का S.I.A दल के द्वारा समर्पित अध्ययन की समीक्षोपरान्त विशेषज्ञ समूह द्वारा उक्त बिन्दुओं पर अनुशंसा निम्नवत है :-

1. ग्राम हुमटा एवं काजीबारू अंचल-बुण्डू में रायसा जलाशय योजनान्तर्गत डैम निर्माण से ग्रामवासियों एवं आस-पास के ग्रामीणों के बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर भविष्य में उन्नति होने की संभावना है।
  2. रायसा जलाशय योजनान्तर्गत डैम निर्माण से किसी प्रकार की विपरीत सामाजिक प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।
  3. S.I.A दल के इस निष्कर्ष से भी सहमत हैं कि ग्राम-हुमटा एवं काजीबारू में ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  4. ग्राम हुमटा एवं काजीबारू ग्राम को जोडने वाले संपर्क सडक को सुदृढीकरण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
  5. सरकार के दारा परियोजना स्थल पर मछली बिकी केंद्र तथा धरेलू वस्तु के बिकी हेतु बजार/सेड का निर्माण सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना चाहिए।
- सडक के किनारे एवं परियोजना स्थल पर वृहत् पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

अतः विशेषज्ञ समिति ग्राम - हुमटा एवं काजीबारू, अंचल-बुण्डू रायसा जलाशय योजनान्तर्गत डैम निर्माण की अनुशंसा करती है।

स्वदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य अध्यक्ष

Trainee BPM BMMU-Bundu, JSLPS, Ranchi  
National Rural Livelihoods Mission (Intensive)  
Department of Rural Development, Jharkhand

गुडिया (Bundu)  
पाठ पाठक-इस  
उप (राँची)

EXECUTIVE ENGINEER  
IRRIGATION DIVISION  
BUNDU

02/05/17  
पुनवास पदाधिकारी  
मध्यम सिवाई परियोजना  
राँची

18/05/2017

Head  
Department of Anthropology  
Ranchi University, Ranchi

विशेषज्ञ समूह

ग्राम पंचायत हुमटा  
प्रखण्ड-बुण्डू, जिला-राँची